UPMO010107512024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-4, मुरादाबाद, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी–(अंचल लवानियाँ),(उच्चतर न्यायिक सेवा)–यू0पी0 2411

सिविल निगरानी संख्या 130 / 2024

साधू सरन शर्मा आयु करीब 55 वर्ष, पुत्र श्री झाउ लाल शर्मा, निवासी मौहल्ला बाजार कस्वा व तहसील बिलारी, हाल ग्राम नगलिया जट तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. मौ0 जुनेद खॉ आयु करीब 31 वर्ष, पुत्र श्री दिलशाद अली खॉ, निवासी मौहल्ला ठाकुरान, कस्वा व तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद।
2. मौहम्मद रफी उर्फ राजू आयु करीब 56 वर्ष, पुत्र स्व0 शरीफ अहमद, निवासी मौहल्ला अन्सारियान, कस्वा व तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

........विपक्षीगण / वादीगण।

3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिलारी, जनपद मुरादाबाद।
4. मौहम्मद वसीम आयु करीब 29 वर्ष, पुत्र मौहम्मद शफीक।
5. रईस अहमद आयु करीब 52 वर्ष, पुत्र अब्दुल शकूर निवासीगण मौहल्ला अंसारियान, कस्वा व तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

...........विपक्षीगण / प्रतिवादीगण।

07—04—2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी।

निगरानीकर्ता साधू सरन शर्मा की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी संख्या– 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

विपक्षी संख्या–3 की ओर से पैरोकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

विपक्षी संख्या–4 व 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निगरानीकर्ता गत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विपक्षी संख्या–4 व 5 पर जरिये प्रकाशन तामीला कराये जाने हेतु दिनांक 30–01–2026 एवं 25–03–2026 को आदेशित किया गया था, किन्तु उक्त आदेश के अनुक्रम में निगरानीकर्ता की ओर से कोई पैरवी नहीं की गयी है और न ही

उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण पर तामीला हेतु पैरवी किये जाने के बावत निगरानीकर्ता को कई बार आदेशित किया जा चुका है, किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पैरवी भी नहीं की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निगरानी को चलाये जाने में निगरानीकर्ता को कोई रुचि नहीं है। अतः ऐसी दशा में उक्त निगरानी, निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

प्रस्तुत निगरानी, निगरानीकर्ता साधू सरन शर्मा की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंचल लवानियॉ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–4,मुरादाबाद

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.04.07 16:16:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court